भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या. *29

दिनांक 20.07.2021/ 29 आषाढ़, 1943 (शक) को उत्तर के लिए

कारागारों का सुधार

***29. श्री गोपाल शेट्टी:**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने गत कुछ वर्षों के दौरान कोई कारागार नीति अथवा सुधार गृह नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त नीति किस तारीख को अंगीकृत की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई नीति बनाने का है;

(घ) ऐसे दोष-सिद्ध व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है जिन्होंने पहली बार अपराधी बनने वाले व्यक्तियों की तुलना में बार-बार अपराधों को अंजाम दिया है;

(ङ) कारागारों में आदतन अपराधियों के सर्वाधिक प्रितशत वाले राज्यों के नाम क्या हैं; और

(च) देश में वर्तमान में कार्यरत खुले कारागारों की कुल संख्या कितनी है और ऐसे खुले कारागारों का संपूर्ण अनुभव कैसा रहा है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार मिश्रा)

(क) से (च): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

लो.स.ता.प्र.सं. *29

"कारागारों का सुधार" के संबंध में दिनांक 20 जुलाई, 2021 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *29 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-।। की प्रविष्टि 4 के अनुसार 'कारागार' और 'उनके भीतर बंद व्यक्ति' राज्य के विषय हैं। कारागारों का प्रशासन और प्रबंधन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है, जो कारागार और सुधारात्मक प्रशासन हेतु उपयुक्त नीतियां तैयार करने और उन्हें अपनाने के लिए सक्षम हैं। तथापि, गृह मंत्रालय समय-समय पर विभिन्न एडवाइजरी तथा दिशानिर्देश जारी करके राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के प्रयासों में सहायता करता है। ये एडवाइजरी गृह मंत्रालय की वेबसाइट https://www.mha.gov.in/Division_of_MHA/Women_Safety_Division/prison-reforms पर उपलब्ध है।

"आदर्श कारागार मैनुअल 2016" भी कारागार सुधार करने की दिशा में एक कदम था, क्योंकि मैनुअल एक ऐसे बेंचमार्क के रूप में कार्य करने का प्रयास करता है, जिसका सभी राज्यों द्वारा अनुकरण किया जाना चाहिए और उससे मार्गदर्शन लेना चाहिए। मैनुअल को मई, 2016 में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अग्रेषित किया गया था। यह मैनुअल अन्य बातों के साथ-साथ कैदियों की "बाद में देखभाल" और "पुनर्वास" सहित कारागार और सुधारात्मक प्रशासन के सभी पहलुओं पर विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करता है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे देश भर में जेलों को शासित करने वाले बुनियादी सिद्धांतों में एकरूपता लाने के लिए मैनुअल में दिए गए मार्गदर्शन को सुझाए गए प्रावधानों में उपयुक्त लचीलेपन के साथ अपनाएं, ताकि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इस मार्गदर्शन को अपनाया जा सके।

(घ) और (ङ): राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा उसे सूचित किए गए आंकड़ों को संकलित करता है तथा इन्हें अपने वार्षिक प्रकाशन "प्रिजन स्टेटिसटिक्स इंडिया" में प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2019 की है। वर्ष 2019 के दौरान कारागारों में बंद किए गए दोषसिद्ध व्यक्तियों और बार-बार अपराध करने वाले व्यक्तियों की संख्या तथा दोषसिद्ध व्यक्तियों की तुलना में बार-बार अपराध करने वाले व्यक्तियों की प्रतिशत हिस्सेदारी का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

लो.स.ता.प्र.सं. *29

(च): दिनांक 31.12.2019 की स्थिति के अनुसार, देश के 17 राज्यों में 86 खुली जेलें स्थापित की गई हैं। खुली संस्थाएं कैदियों को रोजगार और खुले में जीने के अवसर प्रदान करती हैं, जिसके द्वारा उनकी गरिमा लौटने तथा उनमें आत्मनिर्भरता, आत्म-विश्वास और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित होने की प्रत्याशा रहती है, जो कि समाज में उनके पुनर्वास के लिए आवश्यक है।

*****

अनुलग्नक

वर्ष 2019 के दौरान कारागारों में बंद किए गए दोषसिद्ध व्यक्तियों और बार-बार अपराध करने वाले व्यक्तियों की संख्या तथा दोषसिद्ध व्यक्तियों की तुलना में बार-बार अपराध करने वाले व्यक्तियों की प्रतिशत हिस्सेदारी का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष के दौरान कारागारों में बंद किए गए दोषसिद्ध व्यक्तियों की संख्या	बार-बार अपराध करने वाले व्यक्तियों की संख्या	कारागारों में बंद किए गए दोषसिद्ध व्यक्तियों की तुलना में बार-बार अपराध करने वाले व्यक्तियों की प्रतिशत हिस्सेदारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आंध्र प्रदेश	15057	240	1.6
2	अरुणाचल प्रदेश	76	0	0.0
3	असम	2456	105	4.3
4	बिहार	5660	68	1.2
5	छत्तीसगढ़	3857	12	0.3
6	गोवा	145	0	0.0
7	गुजरात	5766	0	0.0
8	हरियाणा	5400	124	2.3
9	हिमाचल प्रदेश	853	0	0.0
10	जम्मू और कश्मीर @	257	0	0.0
11	झारखंड	4174	220	5.3
12	कर्नाटक	3698	124	3.4
13	केरल	5431	421	7.8
14	मध्य प्रदेश	13802	29	0.2
15	महाराष्ट्र	12809	0	0.0
16	मणिपुर	62	0	0.0
17	मेघालय	122	13	10.7
18	मिजोरम	1716	779	45.4
19	नागालैंड	156	19	12.2
20	ओडिशा	1353	26	1.9
21	पंजाब	7208	392	5.4
22	राजस्थान	13000	263	2.0
23	सिक्किम	44	0	0.0
24	तमिलनाडु	3333	25	0.8
25	तेलंगाना	27591	502	1.8
26	त्रिपुरा	837	6	0.7
27	उत्तर प्रदेश	29496	1247	4.2
28	उत्तराखंड	3676	5	0.1
29	पश्चिम बंगाल #	16800	991	5.9
	कुल (राज्य)	**184835**	**5611**	**3.0**
30	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	82	8	9.8
31	चंडीगढ़	264	11	4.2
32	दादरा और नगर हवेली*	8	0	0.0
33	दमण और दीव*	7	0	0.0
34	दिल्ली	3455	1120	32.4
35	लक्षद्वीप	0	0	0.0
36	पुदुचेरी	114	6	5.3
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	**3930**	**1145**	**29.1**
	कुल (अखिल भारत)	**188765**	**6756**	**3.6**

नोट: उपरोक्त गणना केवल दोषसिद्धि पर आधारित है। विचाराधीन कैदियों में से बार-बार अपराध करने वाले व्यक्तियों को शामिल नहीं किया गया है।

@ जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख अब संघ राज्य क्षेत्र हैं। ये दोनों संघ राज्य क्षेत्रों –जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के समेकित आंकड़े हैं।

* दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव का एक संघ राज्य क्षेत्र के रूप में विलय कर दिया गया है।

पश्चिम बंगाल से वर्ष 2018 और 2019 के आंकड़े प्राप्त न होने के कारण, वर्ष 2017 हेतु उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का उपयोग किया गया है।

******